रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2002/अग्रहायण 11, 1924

No. 540] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2002/AGRAHAYANA 11, 1924

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 787(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण(प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2002 है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. रेल दावा अधिकरण(प्रक्रिया) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में,-

(क) उपनियम (1) में, "रजिस्ट्रार को" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार, के कार्यालय में" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "रजिस्ट्रार को" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार, या सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में " शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अतंस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) उपनियम (2) के अधीन डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस दिन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह अधिकरण में प्राप्त होता है"

3. उक्त नियमों के नियम 7 में ;

(क) उपनियम (1) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106 के अधीन सूचना की प्रति;"

(ख) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ किसी विधि व्यवसायी अथवा केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किए जा सकेंगे.

(3) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन किसी विधि व्यवसायी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के साथ वकालतनामा होगा और किसी अभिकर्ता द्वारा फाइल किए गए आवेदन के साथ उसे इस प्रकार अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज़ होगा.

(4) जब किसी आवेदन या उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज़ विरूपित, फटा हुआ, या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त प्रतीत होता है, या, उसकी स्थिति अथवा आकृति पर अन्यथा विशेष ध्यान अपेक्षित है, तो उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा उसकी स्थिति और आकृति के संबंध में यथास्थिति ऐसे आवेदन या उत्तर की अनुक्रमाणिका में उल्लेख किया जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा.".

4. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) दुर्घटना या अप्रिय घटनाओं संबंधी दावों में प्रतिकर के लिए आवेदन फाइल करने का स्थान:- भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 या 124-क के अधीन संदेय प्रतिकर के लिए आवेदन, जिस स्थान से यात्री अपना पास अथवा टिकट प्राप्त करता अथवा खरीदता है, या जहां दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना होती है या जिस स्थान में गंतव्य स्टेशन स्थित है या जहां दावेदार सामान्यतया निवास करता है, उस स्थान पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाली न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जा सकेगा."

5. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10 क. नियम 9 या नियम 10 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आदेशिका की तामील अथवा निष्पादन के लिए प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए दस रुपए की फीस संलग्न होगी."

6. उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"11 क. रोकड़ रजिस्टर का रखरखाव - (1) रजिस्ट्रार को भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद प्राप्त होने वाले सभी संदायों के प्राप्त होते ही रजिस्ट्री लिपिक द्वारा प्ररूप 6 में रखे जाने वाले रोकड़ रजिस्टर में उनके प्राप्ति पक्ष पर तुरंत प्रविष्टि की जाएगी.

(2) सप्ताह के प्रत्येक अंतिम कार्यदिवस पर, उस सप्ताह के दौरान भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त होने वाले संदायों को रजिस्ट्री लिपिक द्वारा रोकड़ अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा जो संवीक्षा और सत्यापन के पश्चात् सभी धनराशियों की रोकड़ रजिस्टर में अभिस्वीकृति देगा.

(3) नकद प्राप्त होने वाली संदाय राशियाँ रजिस्ट्री लिपिक द्वारा प्रतिदिन रोकड़ अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएंगी जो सत्यापन के पश्चात् सभी धनराशियों की रोकड़ रजिस्टर में अभिस्वीकृति देगा.

(4) रोकड़ अनुभाग का प्रभारी अधिकारी भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या नगद प्राप्त सभी धनराशियों को अधिकरण के बैंक खाते में जमा कराएगा.".

7. उक्त नियमों के नियम 12 में, "सूचना" शब्द के स्थान पर "प्ररूप 7 में सूचना" शब्द और अंक रखे जाएंगे.

8. उक्त नियमों के नियम 13 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) किसी भी कार्यवाही में यथास्थिति आवेदक अथवा प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि व्यवसायी को या सूचना या आदेशिका स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भी सूचना या आदेशिका तामील की जा सकेगी, और विधि व्यवसायी या प्राधिकृत व्यक्ति को की गई ऐसी तामील को समुचित तामील समझा जाएगा.

(5) जहां अधिकरण उपनियम (3) के अधीन किसी तामीलदारी का निदेश देता है, वहां समय-समय पर अधिकरण द्वारा अवधारित प्रभार की ऐसी राशि अधिकरण में जमा करवाया जाएगा किंतु यह राशि तामीलदारी करने में वहन किए वास्तविक प्रभारों से अधिक नहीं होगी."

9. उक्त नियमों के नियम 14 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक शपथपत्र प्ररूप -8 में फाइल किया जाएगा.".

10. उक्त नियमों के नियम 15 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जब प्रत्यर्थी आवेदन में कथित तथ्यों को स्वीकार करता है तो न्यायपीठ इस संबंध में आदेश पारित कर सकेगा."

11. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"15क. प्रत्युत्तर फाइल करना:- प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए लिखित उत्तर के लिए प्रत्युत्तर फाइल करने का इच्छुक आवेदक अधिकरण की अनुमति से ऐसा कर सकेगा.

15ख. दस्तावेज़ों को स्वीकार करना और अस्वीकार करना : अधिकरण, विवाद्यकों की विरचना करने से पूर्व पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से सुनिश्चित कर सकता है कि क्या वे आवेदन या उत्तर के साथ संलग्न दस्तावेज़ों, यदि कोई हों, को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, और ऐसी स्वीकृति और अस्वीकृति को दर्ज करेगा.

15ग. दस्तावेज़ों का चिह्नांकन :- आवदेक द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज़ों को 'A' शृंखला के रूप में तथा प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज़ों को 'R' शृंखला के रूप में चिह्नांकित किया जाएगा और अधिकरण के प्रदर्शों को 'C' शृंखला के रूप में चिह्नांकित किया जाएगा."

12. उक्त नियमों के नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"17क. साक्षी के लिए शपथ - यथास्थिति कोर्ट मास्टर या कमीशन साक्षी को निम्नलिखित रूप में शपथ दिलवाएगा -

मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, सच होगा और सच के सिवाय कुछ नहीं होगा."

13. उक्त नियमों के नियम 22 के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जहां अधिकरण द्वारा उपनियम (1) के अधीन किसी साक्षी को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी किए जाते हैं, वहां इस प्रकार समन किया गया व्यक्ति ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो यात्रा और अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो जैसा भी रजिस्ट्रार द्वारा अवधारित किया जाए."

14. उक्त नियमों के नियम 22 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"22क. अभिलेखों का भाग न बनने वाले दस्तावेज़ :- जब तक अधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमति न प्रदान की गई हो, निम्नलिखित दस्तावेज़ मामले के अभिलेखों का भाग नहीं बनेंगे,

(क) लिखित कथन फाइल करने के लिए प्रदान किए गए समय के अवसान के पश्चात् फाइल किया गया लिखित कथन.

(ख) अधिकरण की अनुमति के बिना या प्रदान किए गए समय के अवसान के पश्चात् फाइल किया गया प्रत्युत्तर.

(ग) अधिकरण की अनुमति के बिना या प्रदान किए गए समय के अवसान के पश्चात् फाइल किया गया अतिरिक्त अभिवचन.

(घ) साक्ष्य में प्रस्तुत न किए गए दस्तावेज़."

15. उक्त नियमों के नियम 23 में, "जो अधिकरण के ऐसे न्यायपीठ की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवासी है और" शब्दों का लोप किया जाएगा.

16. उक्त नियमों के नियम 28 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

" परंतु अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार को ऐसा स्थगन तीन बार से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा":

"परंतु यह और कि सभी दस्तावेज़ पक्षकारों द्वारा अभिवचनों के साथ फाइल किए जाएंगे और बाद में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए उन परिस्थितियों को छोड़कर जो संबंधित पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हों, कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा."

17. उक्त नियमों के नियम 31 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अधिकरण, आवेदक और प्रत्यर्थी की सुनवाई करने के पश्चात् तुरंत या उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किंतु अंतिम सुनवाई के पश्चात् इक्कीस दिन से अधिक नहीं, आदेश पारित करेगा और सुनाएगा.".

18. उक्त नियमों में नियम 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"31क. आदेश का निष्पादन :- अधिकरण का आदेश उस न्यायपीठ द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिसने इसे पारित किया है, यदि प्रत्यर्थी उक्त न्यायपीठ की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर है या किसी ऐसे अन्य न्यायपीठ अथवा न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिसके पास इसे निष्पादन के लिए भेजा गया हो, जब प्रत्यर्थी का कार्यालय यथास्थिति ऐसी न्यायपीठ अथवा न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर स्थित हो.

31ख. निष्पादन के लिए आवेदन:- आदेश का धारक, आदेश के निष्पादन के लिए प्ररूप - 9 में अधिकरण को आवेदन करेगा.

31ङ. निष्पादन के लिए आदेशिका जारी करना:- (1) नियम 31 ख के अधीन आवदेन प्राप्त होने पर, अधिकरण प्ररूप-10 में आदेश के निष्पादन के लिए एक आदेशिका जारी करेगा.

(2) अधिकरण, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए आक्षेप, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और यथास्थिति प्ररूप 11 या प्ररूप 12 में कुर्की या वसूली का वारंट जारी करेगा."

19. उक्त नियमों के नियम 32 के उपनियम (1) में, " अपील अनुज्ञात नहीं है" शब्दों के पश्चात् "या जिससे अपील अनुज्ञात है, किंतु प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्द अंत:स्थापित किए जांएगे.

20. उक्त नियमों के नियम 34 में,

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यदि आवेदक या किसी कार्यवाही का प्रत्यर्थी अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की पति की अपेक्षा करता है तो सामान्य स्थिति में उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर दस रुपए और तात्कालिक आधार पर उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर बीस रुपए प्रति आदेश का संदाय किए जाने पर परिदत्त की जाएगी."

(ख) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, रेल दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं से संबंधित प्रतिकर के मामलों में, अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति, उस पर 'नि:शुल्क प्रति' पृष्ठांकन के साथ रजिस्ट्रार द्वारा दोनों पक्षकारों को नि:शुल्क भेजी जाएगी."

21. उक्त नियमों के नियम 36 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) रजिस्ट्रार के नाम भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा पंद्रह रुपए की फीस का भुगतान करने पर विधि व्यवसायी के रजिस्ट्री लिपिक के लिए प्ररूप 13 में एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा."

22. उक्त नियमों के नियम 37 के उपनियम (2) में,

(i) खंड (viii) में 'पंद्रह' शब्द के स्थान पर "तीस" शब्द रखा जाएगा.

(ii) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(xii) केंद्रीय सरकार को प्ररूप 14 में सूचना देने के लिए;

(xiii) मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख को आवदेक या उसके विधि व्यवसायी के पेश न होने की दशा में व्यतिक्रम के लिए आवेदन को खारिज करने के लिए;

(xiv) विरोधी पक्षकार को सूचना तामील करने में आवेदक के विफल होने की दशा में आवेदन को खारिज करने के लिए;

(xv) यदि उसका समाधान हो जाता है कि पेश न होने या विरोधी पक्षकार को सूचना तामील न करने के पर्याप्त कारण हैं तो आवेदन को प्रत्यावर्तित करने के लिए."

23. उक्त नियमों के नियम 44 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"45. अधिकरण की मासिक प्रगति रिपोर्ट:- अधिकरण, प्रत्येक मास प्ररूप 14 में केंद्रीय सरकार को दावा मामलों, दुर्घटना संबंधी मामलों को संस्थित करने, निपटाने तथा लंबित रहने के संबंध में सूचना तथा अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के कार्यों से संबंधित अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा.

46. आदेश शीट का रखरखाव:- रजिस्ट्रार प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप 15 में दो प्रतियों में एक आदेश शीट संलग्न करेगा.

47. न्यायालय डायरी का रखरखाव:- कोर्ट मास्टर दैनिक मामला सूची में सूचीबद्ध सभी आवदेनों के संबंध में प्रत्येक कार्यदिवस के लिए अधिकरण की कार्यवाहियों को अभिलेखबद्ध करने के लिए प्ररूप 16 में एक न्यायालय डायरी बनाएगा.

48. दैनिक मामला सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन:- कोर्ट मास्टर प्रत्येक कार्यदिवस को अगले कार्यदिवस के लिए प्ररूप 17 में मामला सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अधिकरण के सूचना बोर्ड पर चिपकाएगा.

49. अभिलेखों को रखना, उनका परिरक्षण और उन्हें नष्ट करना:- (1) रिकॉर्ड कीपर अभिलेख कक्ष को परेषित अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा. वह प्राप्त होने वाले अभिलेखों की तीन दिन के भीतर जांच करेगा और एक अनुक्रमिका तैयार करेगा.

(2) यदि जांच करने पर, अभिलेखों में कोई कमी पाई जाती है, तो रिकॉर्ड कीपर संबंधित शाखा या अनुभाग को अभिलेख वापस करेगा.

(3) नियम 43 के अधीन विहित अभिलेखों की परिरक्षण अवधि के समाप्त होने पर, रजिस्ट्रार अभिलेखों की छंटाई करेगा.

24. उक्त नियमों में, प्ररूप 5 के बाद निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप 6
(नियम 11क देखिए)

रोकड़ रजिस्टर का प्ररूप

क्र.सं.	मामला सं.	भारतीय पोस्टल ऑर्डर/मांगदेय ड्राफ्ट सं.	भारतीय पोस्टल आर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट की रकम	नकद प्राप्त रकम	प्राप्ति की तारीख	पावती लिपिक के हस्ताक्षर	रोकड़ अनुभाग को प्रेषण की तारीख	रोकड़ अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 7
(नियम 12 देखिए)

विरोधी पक्षकार को सूचना

मू.आ. सं.....

.....आवेदक

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक,रेलवे के माध्यम से.
.....प्रत्यर्थी

सेवा में

.....
.....
.....

उपर्युक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध प्रतिकर का दावा करते हुए आवेदन फाइल किया है और उक्त आवेदन इस अधिकरण में तारीखको प्रात: 10.30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

आपको इस अधिकरण के समक्ष स्वयं या सम्यकत: प्राधिकृत किसी ऐसे विधि व्यवसायी जो आवेदन से संबंधित सभी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, के माध्यम से हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है और आपको यह और निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन अपने प्रतिवाद का उत्तर फाइल करें और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जो आपके कब्जे में हैं या वह अधिकार पत्र जिस पर आपका प्रतिवाद आधारित है.

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित तारीख को आपके हाजिर न होने पर, इस आवेदन की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी गैरहाजिरी में कर लिया जाएगा.

मेरे हस्ताक्षर से और अधिकरण की मुद्रा से आज तारीख को जारी किया गया.

रजिस्ट्रार

3631G1/02—2

प्ररूप 8

(नियम 14 देखिए)

शपथपत्र का प्ररूप

रेल दावा अधिकरणन्यायपीठ के समक्ष

मूल आवेदन सं.....

शीर्षक.....

.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु..... वर्ष

व्यवसाय.....

निवासी.....

का शपथपत्र

मैं, ऊपर नामित, निम्नानुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ:

(क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित पैराओं में प्रथम वाचक में सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करें)

स्थान
तारीख

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं.....(ऊपर नामित) यह घोषणा भी करता हूँ /करती हूँ कि पैरा सं. से तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं और पैरा सं..... से तक उपलब्ध अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्य और सही हैं तथा पैरा सं..... से तक मुझे मेरे विधि व्यवसायी द्वारा दी गई विधिक सलाह के अनुसार सही होने का विश्वास है. इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और न ही इसमें किसी सुसंगत तथ्य को छिपाया गया है.

स्थान
तारीख

अभिसाक्षी

टिप्पणी : 1. शपथपत्र किसी न्यायिक अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या अधिकरण के रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या किसी नोटरी या शपथ आयुक्त या किसी अधिवक्ता के समक्ष पुष्ट किया जाएगा.

टिप्पणी : 2. अनुप्रमाणक अपने हस्ताक्षरों से शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों पर पृष्ठांकन करेगा.

IndiaCode

प्ररूप 9

(नियम 31ख देखिए)

(आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन)

भाग-1

शीर्षक

भाग-2

क्र.सं.	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ
1.		
2.		
3.		
4.		

आवेदक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपयोग के लिए
फाइल करने की तारीख या
डाक से प्राप्ति की तारीख.....
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

भाग-3

रेल दावा अधिकरणन्यायपीठ के समक्ष
मूल आवेदन सं.....
में
निष्पादन आवेदन.....

.....आवेदक
बनाम
.....प्रत्यर्थी

1. आवेदक (आवेदकों) की विशिष्टियां
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) की विशिष्टियां
3. आदेश सुनाए जाने की तारीख

IndiaCode

4. क्या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है या नहीं.
5. अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो.
6. किए गए संदाय/समायोजन, यदि कोई हो.
7. फाइल किया गया पुनर्विलोकन आवेदन, यदि कोई हो और उसका परिणाम.
8. फाइल किया गया पूर्ववर्ती निष्पादन, यदि कोई हो.
9. अधिकरण द्वारा अनुज्ञात रकम और ब्याज
10. आदेश किए जाने पर देय रकम और ब्याज या उसके द्वारा अनुदत्त कोई अन्य अनुतोष
11. आदेश द्वारा अधिनिर्णीत खर्चे, यदि कोई हों.
12. वह क्षेत्रीय रेल प्रशासन जिसके विरुद्ध कार्यान्वित किया जाना है.
13. वह रीति जिसमें अधिकरण की सहायता अपेक्षित है
14. संलग्नकों की सूची

आवेदक

सत्यापन

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन के पैरा सं. 1 से 14 की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है.

आज तारीख..... कोमें हस्ताक्षर किए गए.

आवेदक

IndiaCode

प्ररूप 10

(नियम 31ग देखिए)

निष्पादन आवेदन में सुनवाई के लिए नियत तारीख के बारे में प्रत्यर्थी को सूचना

मूल आवेदन सं..... में निष्पादन आवेदन सं.....

.....आवेदक

बनाम

महाप्रबंधक, रेलवे के माध्यम से भारत संघ

प्रत्यर्थी

सेवा में,

.....

.....

.....

ऊपर उल्लिखित आवेदक ने अभिकथनों के संबंध में मूल आवेदन/अंतरित आवेदन सं..... में पारित आदेशों के निष्पादन के लिए इस अधिकरण में आवेदन किया है कि उक्त आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है. आपको तारीख..... को बजे व्यक्तिगत रूप से या इस प्रयोजन के लिए सम्यकतः नियुक्त किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है ताकि निष्पादन न होने का कारण बता सकें कि इसे क्यों नहीं अनुदत्त किया जाए.

आपको सूचित किया जाता है कि नियत तारीख को आपके उपस्थित न होने पर, इस निष्पादन आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय एकपक्षीय रूप से कर लिया जाएगा.

मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन आज तारीख..... को जारी किया गया.

रजिस्ट्रार

मुद्रा

IndiaCode

प्ररूप 11

(नियम 31ग देखिए)

अधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन में जंगम संपत्ति की कुर्की का वारंट

मूल आवेदन सं.....में निष्पादन आवेदन सं.....

.....आवेदक

बनाम

महाप्रबंधक,रेलवे के माध्यम से भारत संघ

प्रत्यर्थी

सेवा में,

न्यायालय का बेलिफ

.....

.....

इस अधिकरण द्वारा महाप्रबंधक, रेलवे को मूल आवेदन सं..... में तारीख के आदेश के द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसाररुपए की उक्त राशि का संदाय आवेदक को करने का आदेश किया गया था और जिसमेंरुपए की उक्त राशि का संदाय नहीं हुआ है.

अधिनिर्णीत राशि का ब्यौरा

मूल धन

ब्याज

खर्च

निष्पादन के खर्चे

अतिरिक्त ब्याज

कुल

आपको उक्त..... की जंगम संपत्ति को कुर्क करने का समादेश दिया जाता है जो इसके साथ संलग्न अनुसूची में उपवर्णित है और जब तक उक्त..... आपकोरुपए, इस कुर्की के खर्च सहितरुपए की उक्त राशि का चैक के माध्यम से संदाय नहीं कर देता है, तब तक उसे इस अधिकरण के अगले आदेशों तक अपने कब्ज़े में रखा जाए.

आपको यह और समादेश दिया जाता है कि आप तारीख को या इससे पहले यह वारंट वापस कर दें जिसमें इसके निष्पादन के दिन तथा निष्पादन की रीति को या इसे क्यों निष्पादित नहीं किया गया है, को प्रमाणित करने का पृष्ठांकन होना चाहिए.

मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा के अधीन आज तारीख.....को जारी किया गया.

अनुसूची

रजिस्ट्रार

IndiaCode

प्ररूप-12

(नियम 31ग देखिए)

अधिकरण के आदेश के निष्पादन के लिए संदाय की वसूली के लिए वारंट

मामला सं..... में निष्पादन आवेदन सं.

मूल आवेदन संख्या.....

.....आवेदक

बनाम

महाप्रबंधक, रेलवे के माध्यम से भारत संघ

.....प्रत्यर्थी

सेवा में,

..... बैंक

.....

इस अधिकरण द्वारा महाप्रबंधक, रेलवे को मुकदमा सं..... में तारीख के आदेश द्वारा आवेदक को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसाररुपए की राशि का संदाय करने का आदेश किया गया था औररुपए की उक्त राशि का संदाय नहीं हुआ है.

अधिनिर्णीत रकम का ब्यौरा

मूल धन

ब्याज

खर्चे

निष्पादन के खर्चे.....

अतिरिक्त ब्याज

कुल

आपको आपकी शाखा में प्रत्यर्थी के उक्त खाते में सेरुपए की सीमा तक की राशि अभिग्रहीत करने का और इसके अतिरिक्त रुपए की राशि चैक के माध्यम से इस अधिकरण को प्रेषित का निदेश दिया जाता है ताकि आदेशों की पुष्टि हो सके.

आपको यह और समादेश दिया जाता है कि तारीखको या उससे पहले यह वारंट वापस कर दें जिसमें इसके निष्पादन के दिन तथा निष्पादन की रीति को या इसे क्यों निष्पादित नहीं किया गया है, को प्रमाणित करने का पृष्ठांकन होना चाहिए.

मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा के अधीन आज तारीख को जारी किया गया.

रजिस्ट्रार

प्ररूप-13

(नियम 36 देखिए)

पहचान पत्र सं.....

फोटो

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

पता.....

को श्री विधि व्यवसायी, पता.....

.....

के लिपिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

पहचान पत्र..... तक वैध है.

आवेदक का फोटो

रजिस्ट्रीकृत लिपिक के नमूना हस्ताक्षर

विधि व्यवसायी के नमूना हस्ताक्षर

अधिकरण की मुद्रा

तारीख:

रजिस्ट्रार

IndiaCode

प्ररूप-14

(नियम 37 देखिए)

(भाग-1)

..... मास के दौरान अधिकरण में संस्थित तथा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या

न्यायपीठ	आरंभिक अतिशेष			प्राप्तियां			निपटान			अंत अतिशेष		
	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल

(भाग-2)

..... मास के दौरान रेल दुर्घटना संबंधी संस्थित तथा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या

न्यायपीठ	आरंभिक अतिशेष			प्राप्तियां			निपटान			अंत अतिशेष		
	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल

(भाग-3)

..... मास के दौरान अप्रिय घटनाओं संबंधी संस्थित तथा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या

न्यायपीठ	आरंभिक अतिशेष			प्राप्तियां			निपटान			अंत अतिशेष		
	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल	मूल आवेदन	अंतरित आवेदन	कुल

IndiaCode

प्ररूप-15

(नियम 46 देखिए)

आदेश शीट

आवेदन का स्वरूप.....संख्या.....वर्ष.....

.....बनाम.....

तारीख	न्यायपीठ की कार्यवाही	रजिस्ट्रार की टिप्पणियां

IndiaCode

प्ररूप-16

(नियम 47 देखिए)

रेल दावा अधिकरण.....न्यायपीठ

क्र. सं.	आवेदन सं.	पक्षकारों के नाम	आवेदक के विधि व्यवसायी का नाम	प्रत्यर्थी के विधि व्यवसायी का नाम	सुनवाई का प्रयोजन	सुनवाई की पिछली तारीख	सुनवाई की अगली तारीख	टिप्पणियां

IndiaCode

प्ररूप-17

(नियम 48 देखिए)

तारीख की रेल दावा अधिकरण.....न्यायपीठ सं. की मामला सूची

क्र.सं.	आवेदन सं.	आवेदक का नाम	प्रत्यर्थी का नाम	आवेदक का विधि व्यवसायी	प्रत्यर्थी का विधि व्यवसायी	सुनवाई का प्रयोजन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

IndiaCode

25. उक्त नियमों में, अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

क्र.सं.	रेल दावा अधिकरण की न्यायपीठ का मुख्यालय	न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव का संघ राज्य क्षेत्र
2.	बंगलौर	कर्नाटक
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	मुंबई	i) महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे, नासिक, अहमदनगर, सतारा, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, धुले, औरंगाबाद, बीड जिले ii) दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र iii) गोवा

(1)	(2)	(3)
6.	नागपुर	क्र.सं. 5 के सामने स्तंभ (3) की मद (i) में सम्मिलित जिलों को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिले
7.	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र
8.	कोलकाता(3)	पश्चिमी बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र
9.	गुवाहाटी	असम, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड
10.	एर्णाकुलम	केरल, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
11.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आज़मगढ़, मऊ , बस्ती, सिद्धार्थ नगर, मिर्ज़ापुर, राबर्ट्सगंज, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, सिलपुर, पीलीभीत, नैनीताल, शाहजहांपुर, बदाऊँ और हरदोई ज़िले
12.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश के आगरा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, मथुरा, गाजियाबाद, हरिद्वार, अलीगढ़, देहरादून, सहारनपुर ज़िले.
12क.	लखनऊ	स्तंभ (3) में क्र.सं. 11 और 12 के सामने सम्मिलित ज़िलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले
13.	जयपुर	राजस्थान
14.	नई दिल्ली (2)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
15.	पटना	बिहार और झारखंड
16.	चेन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
17.	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश"

26. उक्त नियमों में, अनुसूची 2 के लिए, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची 2

आवेदन फीस

(नियम 6 देखिए)

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 14 की उप धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन फाइल किए जाने के संबंध में निम्नलिखित दर से फीस लगाई जाएगी:-

		संदेय आवेदन फीस
(i)	जहां दावे का मूल्य 1 रुपए से अधिक है किंतु 100 रुपए से अनधिक है.	10.00 रुपए
(ii)	जहां दावे का मूल्य 100 रुपए से अधिक है, किंतु 500 रुपए से अनधिक है.	10.00 रुपए जमा 100 रुपए से अधिक रकम पर 9 प्रतिशत
(iii)	जहां दावे का मूल्य 500 रुपए से अधिक है किंतु 1,000 रुपए से अनधिक है.	46 रुपए जमा 500 रुपए से अधिक रकम पर 8 प्रतिशत
(iv)	जहां दावे का मूल्य 1,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,000 रुपए से अनधिक है.	86 रुपए जमा1000 रुपंए से अधिक रकम पर 7 प्रतिशत
(v)	जहां दावे का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अनधिक है.	366 रुपए जमा 5000 से अधिक रकम पर 6 प्रतिशत
(vi)	जहां दावे का मूल्य 20,000 रुपए से अधिक है किंतु 30,000 से अनधिक है.	1,266 रुपए जमा 20,000 रुपए से अधिक पर 5 प्रतिशत
(vii)	जहां दावे का मूल्य 30,000 रुपए से अधिक है लेकिन 40,000 रुपए से अनधिक है.	17,66 रुपए जमा 30,000 रुपए से अधिक पर 4 प्रतिशत
(viii)	जहां दावे का मूल्य 40,000 रुपए से अधिक है किंतु 50,000 रुपए से अनधिक है.	2,166 रुपए जमा 40,000 रुपए से अधिक रकम पर 3 प्रतिशत
(ix)	जहां दावे का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है.	2,466 रुपए जमा 50,000 रुपए से एक लाख रुपए तक रकम पर 1 प्रतिशत
(x)	जहां दावे का मूल्य एक लाख रुपए से अधिक है.	2,966 रुपए जमा एक लाख रुपए से अधिक रकम पर आधा प्रतिशत.

[सं. 2001/टीसी (आरसीटी)/3-5]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक/जन शिकायत (रेलवे बोर्ड)

पाद टिप्पणी :— मूल नियम दिनांक 19.9.1989 को संख्या सा.का.नि. 842 (असाधारण) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 26.11.1991 को संख्या सा.का.नि. 700 (असाधारण), दिनांक 21.4.1992 को संख्या सा.का.नि. 438 (असाधारण), दिनांक 15.6.1994 को संख्या सा.का.नि. 509 (असाधारण), दिनांक 4.7.1996 को संख्या सा.का.नि. 270 (असाधारण), दिनांक 4.2.1997 को संख्या सा.का.नि. 59 (असाधारण), दिनांक 15.10.1999 को संख्या सा.का.नि. 719 (असाधारण), दिनांक 29.2.2000 को संख्या सा.का.नि. 167 (असाधारण) और दिनांक 9.7.2001 को संख्या सा.का.नि. 513 (असाधारण) द्वारा इनका संशोधन किया गया था.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2002

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules,1989; namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2002.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5,—

 (a) in sub-rule (1), for the words "to the Registrar", the words "in the office of the Registrar or the Additional Registrar, or the Assistant Registrar, as the case may be" shall be substituted;

 (b) in sub-rule (2), for the words "to the Registrar", the words "in the office of the Registrar or the Additional Registrar, or the Assistant Registrar, as the case may be", shall be substituted;

 (c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

 "(2A) An application sent by post under sub rule(2) shall be deemed to have been presented to the Registrar on the day on which it is received in the Tribunal.".

IndiaCode

3. In the said rules, in rule 7, _

(a) in sub-rule (1), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) copy of notice under section 106 of the Railways Act, 1989.",

(b) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2) The documents referred to in sub-rule (1) may be attested by a legal practitioner or by a Gazetted Officer of the Central Government or a State Government.

(3) An application filed under sub-rule (1) of rule 5 by a legal practitioner shall be accompanied by a Vakalatnama and that by an agent shall be accompanied by a document authorizing him to act as such.

(4) When any document accompanying an application or reply appears to be defaced, torn, or in any way damaged or otherwise its condition or appearance requires special notice, a mention regarding its condition and appearance shall be made by the party producing the same in the index of such application or reply, as the case may be, and the same shall be verified by the Registrar.".

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Place of filing application for compensation in accident or untoward incident claim.- An application for compensation payable under section 124 or 124 A of the Railways Act, 1989 may be filed before the Bench having territorial jurisdiction over the place

from which the passenger obtains or purchases his pass or ticket or where the accident or untoward incident occurs or where the place of destination station lies or where the claimant normally resides.".

5. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :-

"10A. Every application made under rule 9 or 10 shall be accompanied with a fee of ten rupees for each respondent for the service or execution of process.".

6. In the said rules, after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:-

"11A. Maintenance of Cash Register (1) All payments received by way of Indian postal orders or demand drafts or in cash by the Registrar shall be entered immediately by the Registration Clerk on their receipt side in a Cash Register maintained in Form VI.

(2) On every last working day of the week, the payments received during the week by way of Indian postal orders or demand drafts shall be transmitted by the Registration Clerk to the official incharge of the Cash Section, who after scrutiny and verification shall acknowledge the receipt of all moneys in the Cash Register.

(3) The payments received in cash shall be transmitted by the Registration Clerk to the official incharge of the Cash Section on each day, who after verification shall acknowledge the receipt of all moneys in the Cash Register.

(4) The official incharge of the Cash Section shall deposit all payments received by way of Indian postal order or demand draft or cash in the Bank account of the Tribunal.".

7. In the said rules, in rule 12, for the word "notice", the words and figures "notice in Form VII" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 13, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely :-

"(4) A notice or process may also be served on the legal practitioner representing the applicant or the respondent, as the case may be, in any proceeding or on any person authorized to accept a notice or a process, and such service on the legal practitioner or on the authorized person shall be deemed to be proper service".

(5) Where the Tribunal directs a service under sub-rule (3), such amount of charges, as may be determined by the Tribunal from time to time, but not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, shall be deposited in the Tribunal.".

9. In the said rules, in rule 14, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3). Every affidavit to be filed before the Tribunal shall be in Form VIII.".

10. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) When the respondent admits the facts stated in the application, the Tribunal may make order in this regard.".

11. In the said rules, after rule 15, the following rules shall be inserted, namely:-

"15A. Filing of Rejoinder:- The applicant intending to file rejoinder to the written reply filed by the respondent may do so with the permission of the Tribunal.

15B. Admissions and denial of documents._ The Tribunal may, before framing issues ascertain from parties or their authorized representatives whether they admit or deny documents accompanying the application or reply, if any, and shall record such admission and denial.

15C. Marking of Documents._ The documents filed by the applicant shall be marked as 'A' series and the documents filed by the respondent shall be marked as 'R' series and the Tribunal exhibits shall be marked as 'C' series.".

12. In the said rules, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:-

"17A. Oath to the witness._ The Court Master or the Commission, as the case may be, shall administer the following oath to a witness :-

I do swear in the name of God that what I shall state shall be truth and nothing but the truth.

13. In the said rules, in rule 22, after sub-rule(2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Where summons are issued by the Tribunal under sub-rule(1) to any witness to give evidence or to produce any document, the person so summoned shall be entitled to such travelling and daily allowance sufficient to defray the travelling and other expenses as may be determined by the Registrar."

14. In the said rules, after rule 22, the following rule shall be inserted, namely:-

"22A. Documents not to form part of records._ Unless duly permitted by the Tribunal, the following documents shall not form part of the records of the case, -

(a) written statement filed after the expiry of time granted for the purpose;

(b) rejoinder filed without leave of the Tribunal or after the expiry of time granted;

(c) additional pleading filed without leave of the Tribunal or filed after expiry of time granted; and

(d) documents not tendered into evidence.".

15. In the said rules, in rule 23, the words "who is resident within the territorial jurisdiction of such Bench of the Tribunal and", shall be omitted.

16. In the said rules, the following proviso shall be inserted to rule 28, namely:-

"Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during the proceedings before the Tribunal":

"Provided further that all the documents shall be filed by the parties along with pleadings and no adjournment shall be granted for filing documents at a later stage except in circumstances which are beyond the control of the concerned party.".

17. In the said rules, in rule 31, for sub-rule (1), the following sub-rule shal be substituted, namely:-

"(1) The Tribunal, after hearing the applicant and respondent, shal make and pronounce an order either at once or as soon as thereafter as may be practicable but not later than twenty-one days from the final hearing.".

18. In the said rules, after rule 31, the following rules shall be inserted, namely:-

"31A. Execution of order._ An order of the Tribunal may be executed by the Bench which pass it if the respondent is within the territorial jurisdiction of the said Bench or by any other

Bench or court to which it is sent for execution, when the respondent is having his office within the territorial jurisdiction of such Bench or court, as the case may be".

31B. Application for execution._ For execution the holder of an order shall make an application to the Tribunal in Form IX.

31C. Issue of process of execution._ (1) On receipt of an application under rule 31B, the Tribunal shall issue a process for execution of its order in Form X.

(2). The Tribunal shall consider objection, if any, raised by the respondent and make such order as it may deem fit and shall issue attachment or recovery warrant in Form XI or XII, as the case may be.

19. In the said rules, in rule 32, in sub- rule(1), after the words "no appeal is allowed", the words "or from which appeal is allowed, but has not been preferred" shall be inserted.

20. In the said rules, in rule 34._

(a) in sub-rule (1), the words "in the normal course of time within seven working days from the receipt of an application for the said purpose and on payment of rupees twenty on urgent basis within three working days from the receipt of an application for the said purpose" shall be added at the end,

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in compensation cases relating to accident and untoward incidents, one copy of the order made by the Tribunal shall be sent within three working days by the Registrar to both the parties free of cost with an endorsement thereon `Free copy.".

21. In the said rules, in rule 36, after sub-rule(2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

IndiaCode

"(3) An Identity Card shall be issued in Form XIII to a Registered Clerk of the legal practitioner on payment of a fee of rupees fifteen by way of Indian postal order or demand draft drawn in favour of the Registrar.".

22. In the said rules, in rule 37, in sub-rule (2),

(i) in clause (viii), for the figures `15', the words "thirty" shall be substituted;

(ii) after clause (xi), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xii) to supply to the Central Government the information in Form XIV;

(xiii) to dismiss the application for default in case the applicant or his legal practitioner does not appear before him on the date fixed for hearing of the case;

(xiv) to dismiss the application in case the applicant fails to serve the opposite party with the notice; and

(xv) to restore the application, if he is satisfied that there are sufficient reasons for non-appearance or for not serving the opposite party.".

23. In the said rules, after rule 44, the following rules shall be inserted, namely:-

"45. Monthly progress report of Tribunal._ The Tribunal shall furnish every month to the Central Government in Form XIV, the information with regard to institution, disposal and pendency of claims cases, accident cases and other information relating to the functioning of the Tribunal and its Benches.

46. Maintenance of order sheets:-The Registrar shall attach to every application an order sheet in duplicate in Form XV.

47. Maintenance of Court Diary._ The Court Master shall maintain a court diary in Form XVI for recording the proceedings of the Tribunal for each working day with respect to all applications listed in the daily cause list.

48. Preparation and publication of daily cause list._ The Court Master shall on each working day prepare for the next working day, the cause list in Form XVII and fix a copy of the same on the Notice Board of the Tribunal.

49 Retention, preservation and destruction of records._ (1) The Record Keeper shall be responsible for the records consigned to the Record Room. He shall scrutinize the records received by him within three days and prepare an index.

(2) If on scrutiny, any deficiency is found in the records, the Record Keeper shall return the records back to the concerned Branch or Section.

(3) On the expiry of the period for preservation of the records prescribed under rule 43, the Registrar shall weed out the record."

24. In the said rules, after Form V, the following forms shall be inserted, - namely:-

"Form VI
(see rule 11A)

Form of Cash Register

Sr. No.	Case number	Indian postal order or demand draft number	Amount of Indian postal order or demand draft	Amount received in cash	Date of receipt	Signature of Receipt Clerk	Date of remitt-ance to Cash Section	Signature of Cash Section official
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form VII
(see rule 12)

Notice to the opposite party

O. A. No.....

.....Applicant (s)

Versus

Union of India through General ManagerRailway
.....Respondent(s)

To

Whereas the above noted applicant has filed an application claiming compensation against you and the said application has been listed for hearing in this Tribunal on at 10.30 a.m.

You are hereby summoned to appear in this Tribunal in person or through a legal practitioner duly authorised, who is able to answer all material questions relating to the application, and you are hereby further directed to file on that day a reply in your defence and to produce all documents in your possession or power upon which you base your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day mentioned above, the application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal, this.....day of.....

REGISTRAR

IndiaCode

FORM VIII
(see rule 14)

Form of affidavit

Before the Railway Claims TribunalBench

Original Application No.....
Title.....

Affidavit of.....son of/daughter of /wife of

aged.....years.....occupation.....

resident of.....

I, the abovenamed do hereby solemnly affirm and declare as under:

(state all relevant facts in first person in paragraphs numbered consecutively)

Place
Dated

Deponent

Verification

I.....(the abovenamed) further declare that para No to.....are true and correct to my personal knowledge and para No.....toare true and correct on the basis of information derived from available records and para No.....to.....are believed to be true on the legal advice received from my legal practitioner. No part of it is false and nothing relevant has been concealed therein.
Place:
Dated:

Deponent

Note: 1. Affidavit shall be affirmed before a Judicial Officer; or a Magistrate; or Registrar, or Additional Registrar, or Assistant Registrar of the Tribunal; or a Notary; or Oath Commissioner or an Advocate.

Note 2. The attestor shall make an endorsement on the documents annexed in the affidavit under his signatures.

IndiaCode

FORM IX
(see rule 31B)

Application for execution of Order

Part-I

Title ----------

Part-II

Sr.No.	description of document attached	Page no.
1.		
2.		
3.		
4.		

Signature
of applicant

For use in Registrar office
Date of filing or
date of receipt by post_____
Signature of Registrar

Part-III

Before the Railway Claims Tribunal_____ Bench

Execution application _____ of
in
Original application no._____

_____Applicant(s)

IndiaCode

Versus

_____Respondent(s)

1. Particulars of applicant(s)
2. Particulars of respondent(s)
3. Date of pronouncement of order.
4. Whether any appeal preferred against the order or not_____.
5. Orders, if any passed in appeal_____.
6. Payment/adjustment made, if any.
7. Review application , if any, filed and result thereof.
8. Previous execution, if any, filed.
9. Amount and interest allowed by the Tribunal.
10. Amount and interest due upon the order or other relief granted thereby.
11. Costs, if any, awarded by order.
12. Against which zonal railway administration to be executed.
13. Mode in which the assistance of the Tribunal is required.
14. List of enclosures.

Applicant

Verification

I_____ do hereby declare that the contents of paragraph nos. 1 to 14 of the application are true and correct to the best of my knowledge and brief.

Signed at_____ this_____ day of _____.

Applicant

IndiaCode

FORM X
(see rule 31C)

Notice to respondent about the date fixed for hearing in execution application.

Execution Application No.in Original Application No.....

.....Applicant (s)

Versus

Union of India through General ManagerRailway.

Respondent (s)

To

IndiaCode

Whereas the applicant mentioned above has made an application to this Tribunal for execution of orders passed in Original Application/Transferred Application Noon the allegations that the said order has not been complied with so far. You are hereby directed to appear before the Tribunal either in person or through a legal practitioner duly appointed for the purpose on.....day of.....at.....to show cause why execution should not be granted.

Take notice that in default of your appearance on the date fixed the execution application will be heard and decided exparte.

Given under my hand and seal this.....day of

Seal

REGISTRAR

FORM XI

(see rule 31C)

Warrant of attachment of moveable property in execution of order of the Tribunal

Execution Application No.in Original Application No.....

.....Applicant (s)

versus

Union of India through General ManagerRailway.

Respondent(s)

To

Bailiff of Court

Whereas General Manager.....Railway..... was ordered by this Tribunal vide orders datedin O.A. No.,. to pay to the applicant the sum of Rs.....as detailed hereunder and whereas the said sum of Rs.....has not been paid.

Detail of Awarded amount

principal	
interest	
costs	
costs of execution	
further interest	
total	

These are to command you to attach the moveable property of the said as set forth in the Schedule hereunto annexed and unless the said.....shall pay to you through Cheque the said sum of Rs.....together with Rs....., the costs of this attachment, to hold the same until further orders from this Tribunal.

You are further commanded to return this warrant on or before.....day ofwith an endorsement certifying the day on which and the manner in which it has been executed or why it has not been executed.

Given under my hand and seal this.....day of.....

Registrar

Schedule

FORM XII

(see rule 31C)

Warrant to recover payment in execution of an order

Execution Application No.....in case No. Original Application. No.....

.....Applicant (s)

Versus

Union of India through General Manager.....Railway.

.....Respondent(s)

To

_____Bank

Whereas General Manager.....Railway.....was ordered by this Tribunal vide orders datedin case No....., to pay to the applicant the sum of Rs..... as detailed hereunder and whereas the said sum of Rs.....has not been paid.

Detail of awarded amount

principal	
interest	
costs	
costs of execution	
further interest	
total	

You are hereby directed to seize the said account of respondent maintained in your branch to the extent of Rs..... and further to remit the said amount of Rs..... through Cheque to this Tribunal to satisfy the orders.

You are further commanded to return this warrant on or beforeday ofwith an endorsement certifying the day on which and manner in which it has been executed or why it has not been executed.

Given under my hand and seal thisday of.....

Registrar

IndiaCode

FORM -XIII
(see rule 36)

Identity Card . No. _____

Shri _____

S/o /D/o / W/o Shri _____ applicant

Address _____

has been registered as a clerk of Shri _____
_____ legal practitioner,

address _____

Photograph of the applicant

Identity Card is valid upto_____

Specimen signature of the Registered Clerk

Specimen signature of the legal practitioner.

Seal of the Tribunal

Dated :

Registrar

IndiaCode

FORM- XIV
(see rule 37)

(Part-I)

Institution and disposal of total cases of the Tribunal during the month of _____

Bench	Opening Balance			Receipts			Disposal			Closing Balance		
	Original Application	Tra-nsf-erred Applic-ation	Total	Original Applicat-ion	Trans-ferred Applic-ation	Total	Original Applicat-ion	Tra-nsf-err-ed Ap-pli-cat-ion	Total	Origin al Applic ation	Tra-nsf-erred Appli-cation	Tot al

(Part-II)

Institution and disposal of railway accident cases for the month of _____

Bench	Opening Balance			Receipts			Disposal			Closing Balance		
	Original Applicati on	Tra-nsf-erred Applic-ation	Total	Original Applicat-ion	Tra-nsf-erred Applic-ation	Total	Origin al Applic at-ion	Tra-nsf-err-ed Ap-plic-ati-on	Tot al	Origi-nal Appli-cation	Tra-nsf-erre d Appl ic-atio n	Total

(Part-III).

Institution and disposal of untoward incidents cases for the month of _____

Bench	Opening Balance			Receipts			Disposal			Closing Balance		
	Original Application	Tra-nsf-erred Applic-ation	Total	Original Applicat-ion	Tra-nsf-erred Applic-ation	Total	Origin al Applic at-ion	Tra-nsf-err-ed Ap-plic-ati-on	Total	Original Applicat-ion	Tra-nsf-err-ed Ap-pli-cat-ion	Tot al

FORM XV
(see rule 46)
ORDER SHEET

Nature of application_____Number__ ____Year_____

_____Versus_____

Date	Proceedings of the Bench	Notes of Registrar

IndiaCode

FORM XVI
(rule 47)

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL _____ BENCH

S. No.	Application number	Names of the parties	Name of applicants legal practitioner	Name of respondents legal practitioner	Purpose for hearing	Previous date of hearing	Next Date of hearing	Remarks

IndiaCode

FORM XVII
(see rule 48)

Cause list of Railway Claims Tribunal.....Bench number.....of dated.....

Sr. No.	Application number	Name of the applicant	Name of the respondent	Applicant legal practit-Ioner	Respondent legal Practit-ioner	Purpose of hearing	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

25. In the said rules, for Schedule I the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE 1
(see rule 3)

Sr.No.	Headquarters of the Bench of the Railway Claims Tribunal	Territorial jurisdiction of the Bench
1.	Ahmedanad	Gujrat, Union territory of Diu.
2.	Bangalore	Karnataka
3.	Bhopal	Madhya Pradesh and Chattisgarh
4.	Bhubaneswar	Orissa
5.	Bombay	i)Districts of Bombay, Thane, Raigad,Pune,Nasik,Ahmednagar, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Kolhapur, Sangli, Solapur, Dhule,

IndiaCode

		Aurangabad, Beed of Maharashtra ii)Union Territories of Dadra and Nagar Haveli. iii)Goa
6.	Nagpur	All District of Maharashtra except those included in item (i) of column (3) against serial number 5.
7.	Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union territory of Chandigarh.
8.	Calcutta (3)	West Bengal, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	Guwahati	Assam, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipar, Meghalaya, Nagaland.
10.	Ernakulam	Kerala, Union territory of Lakshdeep.
11.	Gorakhpur	Districts of Gorakhpur, Deoria, Ballia, Ghazipur, Azamgarh, Mau, Basti, Siddharthnagar, Mirzapur, Robertsgang, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Bahraich, Sultanpur, Pratapgarh, Lakhimpur, Allahabad, Varanasi, Bareilly, Silapur, Pilibhit, Nainital, Shahjahanpur, Badaun and Hardoi of Uttar Pradesh
12.	Ghaziabad	Districts of Agra, Bulandshahar, Moradabad,Bijnore,Mathura, Ghaziabad, Haridwar, Aligarh, Dehradun, Saharanpur of Uttar Pradesh.
12A.	Lucknow	All Districts of Uttar Pradesh except those included in Column (3) against serial number 11 and 12.
13.	Jaipur	Rajasthan
14.	New Delhi (2)	Union territory of Delhi
15.	Patna	Bihar and Jharkhand
16.	Madras	Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.
17.	Secunderabad	Andhra Pradesh

26. In the said rules, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE II
APPLICATION FEE
(see rule 6)

Every application under sub-section (1) of Section 14 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 shall be accompanied by fee in respect of filing of such application at the following rates :-

			Application fee payable
(i)	Where the value of claim exceeds rupee 1 but does not exceed rupees 100.		Rupees 10.00
(ii)	Where the value of the claim exceeds rupees 100 but does not exceed rupees 500.		Rupees 10.00 plus 9 per cent on the exceeding rupees 100.
(iii)	Where the value of the claim exceeds rupees 500 but does not exceed rupees 1000.		Rupees 46 plus 8 per cent on the amount exceeding rupees 500.
(iv)	Where the value of the claim exceeds rupees 1000 but does not exceed rupees 5000.		Rupees 86 plus 7 per cent on the amount exceeding rupees 1000.
(v)	Where the value of the claim exceeds rupees 5000 but does not exceed rupees 20,000.		Rupees 366 plus 6 per cent on the amount exceeding rupees 5,000.
(vi)	Where the value of claim exceeds rupees 20,000 but does not exceed rupees 30,000.		Rupees 1,266 - plus 5 per cent on the amount exceeding rupees 20,000.
(vii)	Where the value of claim exceeds rupees 30,000 but does not exceed rupees 40,000.		Rupees 1,766 - plus 4 per cent on the amount exceeding rupees 30,000.

(viii)	Where the value of claim exceeds rupees 40,000 but does not exceed rupees 50,000.		Rupees 2166 plus 3 per cent on the amount exceeding rupees 40,000.
(ix)	Where the value of claim exceeds rupees 50,000		Rupees 2466 plus 1 per cent on the amount exceeding rupees 50,000 upto rupees One lakh.
(x)	Where the value of claim Exceeds rupees one lakh		Rupees 2966 plus one half per cent on the amount exceeding one lakh.

[No. 2001/TC(RCT)/3-5]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director/Public Grievances (Railway Board)

Foot Note.— The principal rules were published vide number G.S.R. 842(E), dated the 19.9.1989 and subsequently amended by GSR 700(E) dated 26.11.1991,GSR 438(E) dated 21.4.1992,GSR 509(E) dated 15.6.1994,GSR 270(E) dated 4.7.1996,GSR 59(E) dated 4.2.1997,GSR719(E) dated 15.10.1999,GSR167(E) dated 29.2.2000 and GSR 513(E) dated 9.7.2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.